महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्याः 08 / 2019 / 2125/46-3-19-3(57)/2017

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।	**2. समस्त मण्डलायुक्त,** (गन्ना उत्पादक जनपद) उत्तर प्रदेश।	**3. समस्त जिलाधिकारी,** (गन्ना उत्पादक जनपद) उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 20 नवम्बर, 2019**

विषयः **परिक्षेत्र/मण्डलों में तैनात उप गन्ना आयुक्त तथा जिलों में तैनात जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के द्वारा मुख्यालय छोड़े जाने की पूर्व सूचना/अनुमति, गन्ना आयुक्त, उ.प्र. से भी प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में पेराई सत्र 2019-20 का प्रारम्भ हो चुका है तथा चीनी मिलें संचालित हो रही है, जिसके दृटिगत जिलों में जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी एवं परिक्षेत्र/मण्डलों में उप गन्ना आयुक्त की मुख्यालय पर उपस्थिति शासकीय एवं गन्ना कृषकों के हित में सुनिश्चित होनी आवश्यक है।

2. अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देशित किया जाता है कि कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि **परिक्षेत्रों में तैनात उप गन्ना आयुक्त मण्डलायुक्त से एवं जिला गन्ना अधिकारी, जिलाधिकारी से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त करने के साथ ही गन्ना आयुक्त, उ.प्र. से भी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात मुख्यालय छोड़ें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।**

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

संख्याः 08 / 2019 / 2125 (1)/46-3-19-3(57)/2017, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सहित प्रेषितः-

1. अपर गन्ना आयुक्त, (प्रशासन), कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
2. समस्त परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
3. समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी, उ.प्र.।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिव शंकर द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in